भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2722
सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946, (शक)

थर्ड पार्टी मजदूरों की स्थिति

2722. श्री राजेश रंजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थर्ड पार्टी मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि कई कंपनियां उन्हें उनके स्वीकार्य मूल वेतन का आधा भुगतान करती है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या उक्त मजदूरों को स्वास्थ्य, बीमा तथा स्थायी रोजगार जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या वर्ष 2029-30 तक मजदूरों की वर्तमान संख्या 7.7 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन हो जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.): सरकार कामगारों के लिए थर्ड पार्टी मजदूरों सहित विभिन्न कल्याण योजनाएं कार्यान्वित करती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), जीवन और दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा पेंशन लाभों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम)। इसके अतिरिक्त, कामगारों को खाद्य सुरक्षा के लिए वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना, आवास के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना जैसी कौशल विकास पहलों से लाभ होता है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस एक रोजगार योजना है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) के आधार के साथ जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार करने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया। ई-श्रम पर पंजीकरण स्व-घोषणा के आधार पर किया जाता है। दिनांक 10.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.70 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

.....जारी पृष्ठ-2/

बजट घोषणा के अनुसार, ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" 21 अक्टूबर 2024 को आरम्भ किया गया था, जिसमें एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण/मैपिंग शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है, जिसमें पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएमएवाई (शहरी और ग्रामीण), एनएसएपी - राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) शामिल हैं। ।

श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, जहां केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुसार कानून बनाने और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सक्षम हैं।

*****